न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 08/2025

जीसीएमएस : 2025/91

01. रणजीतसिंह पुत्र श्री शैमलसिंह जाति रायसिख साकिन 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। –:प्रार्थी

बनाम

1. जगदीशसिंह पुत्र श्री दोनासिंह जाति रायसिख साकिन 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. मायाबाई पुत्री श्री दोनासिंह जाति रायसिख साकिन 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. रेशमाबाई पुत्री श्री दोनासिंह जाति रायसिख साकिन 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. कुलविन्द्रसिंह पुत्र श्री दोनासिंह जाति रायसिख साकिन 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. अतरसिंह पुत्र श्री दोनासिंह जाति रायसिख साकिन 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. पवनदीपसिंह पुत्र श्री दोनासिंह जाति रायसिख साकिन 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 02.04.2024

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री कृष्णलाल लदोईया प्रार्थी अधि.।
2. श्री परविन्द्र बिश्नोई अप्रार्थी सं. 1–3–4 अधि.।
3. एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं. 2–5–6।

—निर्णय— दिनांक 17.07.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके चक 43 पी.एस. तह. रायसिंहनगर के खाता सं. 168/5 की 0.506है., नहरी व चक लिखमीसर बारानी तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता सं. 27/21 की 1.012 है. बारानी, इस प्रकार कुल 1.518 है. नहरी–बारानी भूमि तथा प्रार्थी के पिता के नाम से चक 43 पी.एस. तह. रायसिंहनगर के खाता सं. 107/88 व 108/88 की 1.138 है. नहरी खातेदारी भूमि है, जिसमें प्रार्थी के पिता के नाम की खाता सं. 107/88, मु.नं. 53, पं.नं. 281/323 के कि.नं. 20 व प्रार्थी के खाता सं. 168/5, मु.नं. 54 पं.नं. 282/323 के किला नं. 16 के मध्य पं.नं. लाईन पर ट्यूबवैल लगा हुआ है, जिसमें से चक लिखमीसर बारानी के संयुक्त खाता सं. 27/21 मु.नं. 41 पं.नं. 281/326 के कि.नं. 25 की 6.325 है. भूमि में से अपने कब्जा काश्त व हिस्सा के कि.नं. 1–2–9 व 10 की 1.012 है. बारानी खातेदारी भूमि में सिंचाई के प्रयोजनार्थ तीन फुट गहराई में अपने खर्चा पर भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की चक 43 पी.एस. तह. रायसिंहनगर के खाता सं. 47/32, मु.नं. 56 पं.नं. 281/324 के कि.नं. 1–10–11–20

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.19 17:17:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

व 21 की खातेदारी भूमि व अप्रार्थीगण सं. 4 ता 6 की इसी चक के खाता संख्या 152/1, मु.नं. 67 प.नं. 281/325 के कि.नं. 1 व खाता सं. 2/2 व खाता सं. 13/2 मु.नं. 67, प.नं. 281/325 के कि.नं. 10 व खाता संख्या 157/2 मु.नं. 67, पं.नं. 281/325 के कि.नं. 11, 20 व 21 की खातेदारी भूमि में पश्चिमी पासा पत्थर लाईन के साथ–साथ तीन फुट गइराई में अपने खर्चा पर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने/स्वीकृत करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में फसल रबी की कटाई की जा चुकी है तथा फसल खरीफ का बिजान्द करने में अभी दो माह का समय लगना है इसलिए वर्तमान में भूमि खाली है तथा प्रार्थी अपने खर्चा पर पाईपलाईन बिछाने हेतु भूमि की खुदाई कर तथा पाईपलाईन बिछा कर भूमि पुनः समतल कर अप्रार्थीगण के सुपुर्द कर सकता हैं अतः प्रार्थना पत्र. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की जोत वाके चक लिखमीसर बारानी के संयुक्त खाता सं. 27/21, मु.नं. 41 पं.नं. 281/326 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.325 है. भूमि में से अपने कब्जा काश्त व हिस्सा की कि.नं. 1–2–9 व 10 की 1.012 है. बारानी खातेदारी भूमि में सिंचाई के प्रयोजनार्थ तीन फुट गहराई में अपने खर्चा पर भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की चक 43 पी. एस. तह. रायसिंहनगर के खाता संख्या 47/32, मु.नं. 56, प.नं. 281/324 के किला नं. 1–10–11–20 व 21 की खातेदारी भूमि अप्रार्थीगण सं. 4 ता 6 की इसी चक के खाता सं. 152/1, मु.नं. 67, पं.नं. 281/325 के कि.नं. 10 व खाता सं. 2/2 व खाता सं. 13/2 मु.नं. 67, पं.नं. 13/2 मु.नं. 67, प.नं. 281/325 के कि.नं. 10 व खाता 157/2 मु.नं. 67 पं.नं. 281/325 के कि.नं. 11–20 व 21 की खातेदारी भूमि में पश्चिमी पासा पर पत्थर लाईन के साथ–साथ तीन फुट गहराई में प्रार्थी के खर्चा पर भूमिगत पाइपलाइन की स्वीकृति प्रदान की जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1–3–4 की तरफ से श्री परिवन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा लगाया गया आवेदन पत्र विधि विरूद्व होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। क्योकि प्रार्थी द्वारा अन्य चक की लिखमीसर बारानी की अनकमाण्ड भूमि में भूजल का प्रयोग करने हेतु पाईप लाईन का आवेदन प्रस्तुत किया है जो कि राज्य सरकार के भू जल के दोहन होने कारण स्वीकृत योग्य नहीं है। व राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, ऐसी सुरत में प्रार्थना पत्र पोषनीय नही है। चक 43 पीएस की मुरब्बा नं. 55–56–67–68 हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई भी रास्ता स्वीकृत नहीं है। [illegible] पूर्व मुरब्बाजात में जाने हेतु चक 43 पीएस के दक्षिणी तरफ [illegible]त [illegible] जो कि आवेदक का है, जिसमें आवेदक रणजीतसिंह अपनी [illegible]नाकर निवास कर रहा है के कि.नं. 1–10–11–20–21 में [illegible] वर्षों से रास्ता चल रहा है, जिसे वर्त[illegible] कर दिया, जिस हेतु मुरब्बा नं. 55–56–67–68 के काश्तकारान द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को आवेदन देकर उक्त रास्ता खुलवाने हेतु निवेदन किया था, परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.19 17:17:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

रंजिश कर आवेदक द्वारा गलत रूप से अपनी अनकमाण्ड भूमि को सिंचित क्षेत्र का पानी लगाने हेतु पाईप लाईन का आवेदन किया है जो कि पूर्णतया विधि विरूध है प्रतिवादी सं. 3 रेशमा बाई की भूमि में भी पाईप लाईन स्वीकृति हेतु आवश्यक पक्षकार बनाया है, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपने प्रभाव मे लेकर रेशमा बाई की सहमति बाबत् गलत अंगूठा लगवाये है, जबकि रेशमाबाई उक्त पाईप लाईन लाने हेतु पूर्णतया असहमत है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/867 दिनांक 21.05.2025 से मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के नाम चक 43 पीएस प.नं. 282/323 मु.नं. 54 के कि.नं. 16 व 25 कुल 0.506 है. नहरी भूमि रणजीतसिंह पुत्र शेमलसिंह जाति रायसिख साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण के नाम चक 43 पीएस के प.नं. 281/324 मु.नं. 56 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.150 है. नहरी भूमि जगदीशसिंह–मायाबाई–रेशमाबाई पि. दोनासिंह जाति रायसिख साकिन देह तथा प.नं. 281/325 मु.नं. 67 के कि.नं. 1 ता 5 की 1.140 है. तथा कि.नं. 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2 की 0.380 है. नहरी भूमि कुलविन्द्रसिंह पुत्र अतरसिंह जाति रायसिख साकिन 43 पीएस तथा कि.नं. 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 12 ता 14 की 1.644 है. नहरी भूमि अतरसिंह पुत्र हाजारासिंह–कुलविन्द्रसिंह पुत्र अतरसिंह जाति रायसिख साकिन देह तथा कि.नं. 11, 18/2, 19 ता 22, 23/2 की 1.518 है. नहरी भूमि नाबालिग पवनदीपसिंह पुत्र कुलविन्द्रसिंह संरक्षक माता स्वणकौर जाति रायसिख साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने अपने रकबे मे सिचाई हेतु मु.नं. 56 के 1–10–11–20–21 तथा पं.नं. 281/325 मु.नं. 67 के कि.नं. 1–10–11–20–21 तथा पं.नं. 281/325 मु.नं. 67 के कि.नं. 1–10–11–20–21 प्रत्येक में तीन फुट की गहराई में पश्चिमी पासा में पाईपलाईन डालने की अनुमति दी जानी उचित है।

4. बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थी सिचाई हेतु चक 43 पीएस के पं.नं. 281/324 के मु.नं. 56 के 1–10–11–20–21 तथा पं.नं. 281/325 मु.नं. 67 के कि.नं. 1–10–11–20–21 प्रत्येक में तीन फुट की गहराई पश्चिमी पासा में पाईपलाईन डालने की स्वीकृति प्रदान की जावे। यही से पाईप लाईन डालने से पानी कम समय मे खेत में पहुंच सकता है। अन्य विकल्प से दूरी अधिक पड़ती हैं। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने रंजिश के कारण अप्रार्थीगण के खेत में अपनी असिंचित भूमि में पानी लेने पहुंचाने लिए अप्रार्थीगण के कृषि भूमि में से पाईप लाईन [illegible] जो मय खर्चा खारिज किया जावे।

5. हमने विद्वान अधिवक्तागण [illegible] उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को चक 43 पीएस के पं.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.19 17:17:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

281/324 के मु.नं. 56 के 1-10-11-20-21 तथा पं.नं. 281/325 मु. नं. 67 के कि.नं. 1-10-11-20-21 प्रत्येक में तीन फुट की गहराई पश्चिमी पासा में पाईपलाईन डालने की स्वीकृति दिया जाना उचित है यह कथन तहसीदार की मौका रिपोर्ट में अंकित है प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिपोर्ट के तथ्यो के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 के स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 43 पीएस के पं.नं. 281/324 के मु.नं. 56 के 1-10-11-20-21 तथा पं.नं. 281/325 मु.नं. 67 के कि.नं. 1-10-11-20-21 प्रत्येक में तीन फुट की गहराई एवं चार फुट चौड़ाई में पश्चिमी पासा के पत्थर लाईन पर पाईपलाईन डालने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि तहसीलदार रायसिंहनगर मुआवजा के तौर पर पाईप लाईन डालने में उपयोग हुई भूमि का डीएलसी दर का 10 प्रतिशत राशि प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी को दिलाने के उपरान्त ही आदेश की पालना करवाये। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.19 17:17:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner